प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

दाण्डिक पुनरीक्षण सं 246 /2025

1 – अनिल टुटेजा पिता स्वर्गीय एच. एल. टुटेजा , 61 वर्ष, निवासी मकान संख्या 35/1396, फरिश्ता नर्सिंग होम, कटोरा तालाब, सिविल लाइन्स, रायपुर (छ.ग) (अन्य सह–अभियुक्तों के साथ आक्षेपित आदेश अनुलग्नक ए/1 की प्रमाणित प्रति में विवरण गलत तरीके से उल्लिखित है)।

---आवेदक

बनाम

1 – प्रवर्तन निदेशालय, सहायक निदेशक के द्वारा, ईडी, रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर, जिला–रायपुर, सी. जी. (विवरण गलत तरीके से 099 सहायक निदेशक पी. एम. एल. ए., प्रवर्तन निदेशालय, रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर, छ.ग. 039 के रूप में निर्दिष्ट आदेश अनुलग्नक ए/1 की प्रमाणित प्रति में)

---उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आवेदक हेतु :श्री सौरभ डांगी, अधिवक्ता

उत्तरवादी हेतु :डॉ. सौरभ कुमार पांडे, अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार वर्मा, न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

02/04/2025

1. विद्वान विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए), रायपुर, सी.जी. द्वारा पारित दिनांक 05/10/2024 के आदेश के विरुद्ध धारा 438 सहपठित धारा 422 बीएनएसएस, 2023 के तहत वर्तमान पुनरीक्षण दायर किया गया है, जिसके तहत धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 3 सहपठित धारा 4 के तहत याचिकाकर्ता के विरुद्ध दिनांक 11/04/2024 को ईसीआईआर/आरपीजेडओ/04/2024 में दायर अभियोजन परिवाद दिनांक 19/06/2024 में संज्ञान लिया गया है।

2. याचिकाकर्ता एक प्रतिष्ठित और बेदाग सेवा अभिलेख के साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं।वे मई, 2023 में छत्तीसगढ़ के वाणिज्य और उद्योग विभाग में संयुक्त सचिव के पद से सेवानिवृत्त

हुए।याचिकाकर्ता एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है जिसकी समाज में गहरी पैठ है और वह अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रायपुर में रहता है। याचिकाकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।इस मामले में, यह ध्यान रखना उचित है कि आरोपित आदेश पारित करने के समय (अर्थात , 05.10.2024 को) जहां धन शोधन के अपराध का संज्ञान लिया गया था, याचिकाकर्ता के अभियोजन के लिए उत्तरवादी /ईडी द्वारा धारा 197(1) सीआरपीसी के तहत कोई मंजूरी नहीं ली गई थी, जबकि कथित अपराध के समय याचिकाकर्ता एक लोक सेवक था और धारा 65 पीएमएलए के साथ दं. प्र. सं. कि धारा 197(1) के अनुसार ऐसी मंजूरी प्राप्त करने की अनिवार्य आवश्यकता के बावजूद। , आज दिनांक तक, याचिकाकर्ता के सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार, याचिकाकर्ता के अभियोजन के लिए उत्तरवादी /ईडी द्वारा दं. प्र. सं. कि धारा 197(1) के तहत कोई मंजूरी नहीं ली गई है। विशेष रूप से, आज की दिनांक तक, याचिकाकर्ता के सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार, याचिकाकर्ता के अभियोजन के लिए उत्तरवादी/ईडी द्वारा दं. प्र. सं. कि धारा 197(1) के तहत कोई मंजूरी नहीं ली गई है। आयकर विभाग द्वारा सीटी के तहत मामला संख्या 1183/2022, धारा 276(सी)/277/278/278 ई आईटी अधिनियम के साथ धारा 120–बी/191/199/200/204 आईपीसी ("आईटी शिकायत") के तहत दायर अभियोजन परिवाद के आधार पर ईडी ने एक ईसीआईआर संख्या ईसीआईआर/आरपीजेडओ/11/2022 ("ईसीआईआर 11") दर्ज की, जिसमें आईपीसी की धारा 120 बी के तहत अपराध को एक अलग अनुसूचित अपराध माना गया। ईसीआईआर 11 में छत्तीसगढ़ राज्य में एक शराब घोटाले के अस्तित्व का आरोप लगाया गया है जो कथित तौर पर 2019–2022 के बीच अस्तित्व में था। 04.07.2023 को, उत्तरवादी /ईडी ने धारा 44 के तहत अभियोजन परिवाद दर्ज की ईसीआईआर 11 के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 45 ("पीएमएलए")।उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कई आरोप लगाए जाने के बावजूद उत्तरवादी /ईडी द्वारा उसे अभियुक्त के रूप में पेश नहीं किया गया।उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता को उसके विरुद्ध कई आरोप लगाने के बावजूद उत्तरवादी /ईडी द्वारा अभियुक्त के रूप में पेश नहीं किया गया था। 17.01.2024 को, एसीबी, रायपुर ने उत्तरवादी /ईडी के कहने पर याचिकाकर्ता के खिलाफ अन्य बातों के साथ–साथ 11.07.2023 को भेजे गए एक पत्र के आधार पर एफआईआर सं04/2024 ("छत्तीसगढ़ एफआईआर" / "अनुसूचित अपराध एफआईआर") दर्ज की, जो किसी भी अनुसूचित अपराध की अनुपस्थिति में ईडी द्वारा अवैध जांच के दौरान भेजा गया था। सुसंगत रूप से, 18.01.2024 को, एसीबी, रायपुर ने अनुसूचित अपराध प्रथम सूचना प्रतिवेदन में याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17 ए के तहत 22.02.2024 को मंजूरी मांगी थी और उसे मंजूरी दे दी गई थी। एसीबी, रायपुर द्वारा पंजीकृत एफआईआर क्रमांक 04/2024 की प्रति अनुलग्नक ए/2 के रूप में संलग्न है।भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 ए के तहत याचिकाकर्ता के विरुद्ध अन्वेषण के संबंध में पूर्व अनुमोदन के लिए महानिदेशक, ईओडब्ल्यू द्वारा सचिव, छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन को भेजे गए पत्र की प्रतिलिपि अनुलग्नक ए/3 के रूप में संलग्न है।अन्य बातों के साथ–साथ याचिकाकर्ता के विरुद्ध अन्वेषण हेतु भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 ए के तहत प्राप्त पूर्व अनुमोदन की प्रति अनुबंध ए/4 के रूप में संलग्न है।08.04.2024 को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ईसीआईआर 11 में प्रतिवादी/ईडी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

द्वारा दायर दिनांक 04.07.2023 की अभियोजन परिवाद, साथ ही उसमें ईडी द्वारा की गई पूरी सामग्री और जांच को इस निष्कर्ष के साथ रद्द कर दिया कि कोई अनुसूचित अपराध नहीं बनता है और ईसीआईआर 11 और उसमें दायर अभियोजन परिवाद के संबंध में अपराध की कोई आय नहीं थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 08.04.2024 के आदेश की प्रति अनुबंध ए/5 के रूप में संलग्न है।11.04.2024 को, ईसीआईआर को रद्द करने के 3 दिनों के भीतर, ईसीआईआर 11 के समान तथ्यों, आरोपों और अंतर्निहित सामग्री पर ईडी द्वारा नंबर ईसीआईआर/आरपीजेडओ/04/2024 ("विषय ईसीआईआर") वाली एक अनुवर्ती ईसीआईआर पंजीकृत की गई थी। विषय ईसीआईआर कथित अनुसूचित अपराधों के रूप में छत्तीसगढ़ एफआईआर में अपराधों पर आधारित है। 11.04.2024 की ईसीआईआर संख्या 04/2024 की प्रति अनुलग्नक ए/6 के रूप में संलग्न है। 20.04.2024 को, याचिकाकर्ता को छत्तीसगढ़ एफआईआर के संबंध में सम्मन के अनुसरण में एसीबी, रायपुर के समक्ष पेश होने के बाद उत्तरवादी/ईडी द्वारा अत्यंत दुर्भावनापूर्ण और अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया था।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता हेतु तर्क किया है किः

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ए) 05.10.2024 को आदेश पारित करने के समय, जहां मनी लॉन्ड्रिंग/धन शोधन के अपराध का संज्ञान लिया गया था, याचिकाकर्ता के अभियोजन के लिए उत्तरवादी/ईडी द्वारा धारा 197(1) सीआरपीसी या धारा 218(1) बीएनएसएस के तहत कोई मंजूरी नहीं ली गई थी, इस तथ्य के बावजूद कि याचिकाकर्ता कथित अपराध के समय एक लोक सेवक था और धारा 65 पीएमएलए के साथ दं. प्र. सं. कि धारा 197(1) सीआरपीसी के अनुसार ऐसी मंजूरी प्राप्त करने की अनिवार्य आवश्यकता के बावजूद। वह आगे तर्क देते है कि आज की दिनांक तक भी, याचिकाकर्ता के अभियोजन के लिए उत्तरवादी/ ईडी द्वारा धारा 218 बीएनएसएस के तहत कोई मंजूरी नहीं ली गई है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि उत्तरवादी/ईडी द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ वाद चलाने के लिए धारा 218(1) बीएनएसएस प्राप्त की गई है, इस तथ्य के बावजूद कि याचिकाकर्ता कथित अपराध के समय एक लोक सेवक था।

(ख) इसके बाद उन्होंने तर्क दिया कि दं. प्र. सं. कि धारा 197 या धारा 218 बीएनएसएस के तहत परिकल्पित संबंधित सरकार से मंजूरी, किसी भी लोक सेवक द्वारा किए गए कथित अपराध का संज्ञान लेने के लिए न्यायालय के लिए एक आवश्यक पूर्व शर्त है। संबंधित सरकार से ऐसी मंजूरी के बिना, सक्षम न्यायालय के पास मामले में आगे की कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है, जिसमें कथित अपराधों का संज्ञान लेना भी शामिल है।उन्होंने आगे तर्क दिया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में **प्रवर्तन निदेशालय बनाम बिभु प्रसाद आचार्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 3181** के मामले में व्यवस्था दी है और विधि घोषित किया है कि अन्य बातों के साथ–साथ पीएमएलए की धारा 3 के तहत धन शोधन के अपराध का संज्ञान लेने से पहले लोक सेवक के खिलाफ अभियोजन के लिए दं. प्र. सं. कि धारा 197(1), के तहत मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए।

(सी) वह यह भी तर्क देंते है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **बिभु प्रसाद आचार्य (सुप्रा)** में यह निर्धारित किया और स्पष्ट की गई विधि की उपरोक्त स्थिति के आधार पर, यह सुस्पष्ट है कि दं. प्र. सं. कि धारा 197(1), के प्रावधान पीएमएलए की धारा 44 के तहत परिवाद पर लागू होते हैं। इस प्रकार, दं. प्र. सं. कि धारा 197(1) के तहत पूर्व मंजूरी एक लोक सेवक, अर्थात, इस विषय मामले में याचिकाकर्ता, के खिलाफ पीएमएलए की धारा 3 के तहत अपराध के लिए मुकदमा चलाने के लिए एक पूर्व–आवश्यकता है, और इसके अभाव में संज्ञान नहीं लिया जा सकता है।उन्होंने आगे तर्क दिया कि अभियोजन शिकायत दिनांक 28.06.2024 में उत्तरवादी/ईडी ने आरोप लगाया है कि याचिकाकर्ता, जो कथित अपराधों के समय एक लोक सेवक (एक प्रोन्नत आईएएस अधिकारी) था, एक आईएएस अधिकारी के रूप में अपनी क्षमता में और सुसंगत समय पर वाणिज्य और उद्योग विभाग का संयुक्त सचिव होने के नाते, कथित तौर पर छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे शक्तिशाली नौकरशाह था, जिसके पास पुलिस, खनन, पर्यावरण, शराब विभाग को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त शक्ति थी, जिसमें कथित रूप से प्रमुख पदों पर व्यक्तियों को रखकर शामिल था। यह भी आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता कथित शराब घोटाले का मुख्य वास्तुकार था और अपने कार्यालय और तत्कालीन मुख्यमंत्री के साथ निकटता के कारण, सभी आईएएस–आईपीएस और अन्य सरकारी अधिकारियों की पोस्टिंग को नियंत्रित करता था। यह भी अभिकथित गया था कि उसने श्री अरुण पति त्रिपाठी को छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड ("सीएसएमसीएल") के एमडी के रूप में नियुक्त किया था।यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर रहा था और अपने पद का दुरुपयोग कर रहा था। इसलिए, उत्तरवादी /ईडी द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार याचिकाकर्ता एक लोक सेवक था जिसे सरकार की मंजूरी से या उसके द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता था, और कथित अपराध ऐसे सार्वजनिक पद पर रहते हुए और वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के तत्कालीन संयुक्त सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने का दावा करते हुए किया गया थाइसके अलावा, धारा 65 पीएमएलए सीआरपीसी की सभी धाराओं को पीएमएलए के तहत कार्यवाही के लिए लागू करता है, जिसमें दं. प्र. सं. कि धारा 197 भी शामिल है। इस प्रकार, दं. प्र. सं. कि धारा 197(1), के तहत संरक्षण याचिकाकर्ता तक विस्तारित होता है और विद्वान विशेष न्यायाधीश ने प्रतिवादी/ईडी से दं. प्र. सं. की धारा 197(1) के तहत पूर्व मंजूरी प्राप्त किए बिना याचिकाकर्ता के खिलाफ पीएमएलए की धारा 4 के साथ धारा 3 के तहत अपराध का संज्ञान लेने में त्रुटि की है।

(डी) वह आगे तर्क देंते है कि विद्वान विशेष न्यायाधीश ने त्रुटिपूर्ण तरीके से आक्षेपित आदेश पारित किया, जिससे कथित अपराध के अभियोजन के लिए उत्तरवादी /ईडी द्वारा कोई पूर्व मंजूरी प्राप्त किए बिना पीएमएलए की धारा 4 के साथ धारा 3 के तहत अपराध का संज्ञान लिया गया, याचिकाकर्ता कथित अपराध के समय एक लोक सेवक था।यह स्थापित विधि है कि धारा 197(1), सीआरपीसी के तहत मंजूरी का सवाल संज्ञान के बाद किसी भी समय उठाया जा सकता है, चाहे वह संज्ञान के तुरंत बाद या आरोप तय करने के बाद हो या फिर मुकदमे के समापन के समय और दोषसिद्धि के बाद भी हो। उन्होंने **प्रकाश सिंह बादल एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य, (2007) 1 एससीसी 1; पी.के. प्रधान बनाम सिक्किम राज्य, (2001) 6 एससीसी 704;**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बिभु प्रसाद आचार्य, (सुप्रा) के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि पर अपना भरोसा जताया है। अतः,अभियोजन पक्ष के परिवाद दिनांक 19.06.2024 में आरोपित धन शोधन के अपराध के संबंध में धारा 3 आर/डब्ल्यू 4 पीएमएलए के तहत संज्ञान लेने वाला आक्षेपित आदेश अभियोजन की मंजूरी के बिना विशेष न्यायाधीश द्वारा संज्ञान लेना अपने आप में अवैध है, इसलिए याचिकाकर्ता के संबंध में इसे अपास्त किया जा सकता है।

4. इसके विपरीत, उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि:---

(ए).वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता के विरुद्ध अभियोजन पक्ष के परिवाद 19/06/2024 को विशेष पीएमएलए न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा 05/10/2024 को संज्ञान लिया गया था।

(बी)उन्होंने आगे तर्क दिया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के समय दं. प्र. सं. की धारा 197 (1) के तहत अभियोजन स्वीकृति लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने विनोद मालेश्वर बनाम प्रवर्तन निदेशालय, रायपुर {सीआरआर संख्या 816/2018, दिनांक 17/06/2022 को तय} के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि पर अपना भरोसा रखा, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि यदि आवेदकों को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभियुक्त बनाया जाता है, तो कोई अवैधता नहीं है और साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके अभियोग के लिए किसी भी विधि के तहत कोई रोक नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(सी) वह अंतिम रूप से यह तर्क देते है कि अभियुक्त अनिल टुटेजा ने पीएमएलए, 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है, जो पीएमएलए, 2002 की धारा 4 के तहत दंडनीय है और उसे प्रवर्तन निदेशालय, रायपुर जोनल कार्यालय द्वारा 20.04.2024 को गिरफ्तार किया गया था।उनके खिलाफ अभियोजन परिवाद 19.06.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) रायपुर के समक्ष दायर की गई थी। उपलब्ध सामग्री के आधार पर, विद्वान विचारण न्यायालय ने 05.10.2024 को वर्तमान आवेदकों के खिलाफ अपराध का संज्ञान लिया। विनोद मालेवार बनाम प्रवर्तन निदेशालय, रायपुर के मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के सीआरआर संख्या 816/2018 के तहत उस समय दं. प्र. सं. कि धारा 197 के तहत सक्षम प्राधिकारी से अभियोजन की मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी। और उस समय, पीएमएलए के मामलों में इसका अनुपालन करना अनिवार्य आवश्यकता नहीं थी। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि **प्रवर्तन निदेशालय बनाम बिभु प्रसाद आचार्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 3181 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी ले ली गई है, और छत्तीसगढ़ सरकार के अतिरिक्त सचिव के कार्यालय से दिनांक 14.02.2025 के पत्र के माध्यम से पीएमएलए की धारा 3 के साथ धारा 4 के तहत धन शोधन के अपराध के लिए अनिल टुटेजा पर वाद चलाने के लिए मंजूरी प्राप्त कर ली गई है।अभियोजन मंजूरी का आदेश इसे अभिलेख का हिस्सा बनाने हेतु 18.02.2025 पर माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष विधिवत प्रस्तुत किया गया है।**

5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है तथा दस्तावेजों का अध्ययन किया है।

6. इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न हैं:

(i) क्या अपराध किसी लोक सेवक द्वारा किया गया है?

(ii) क्या याचिकाकर्ता का कथित कृत्य उसके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन से उचित रूप से जुड़ा हुआ है?

7. लोक सेवक शब्द को भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 (28) में परिभाषित किया गया है, और यह एक स्वीकृत तथ्य है कि याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ राज्य में वाणिज्य और उद्योग विभाग के संयुक्त सचिव के रूप में काम कर रहा था और वह केंद्र सरकार की सेवा में है, इसलिए, वह भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 (28) के तहत परिभाषित लोक सेवक है।

8. अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं कि क्या याचिकाकर्ता का कथित कृत्य आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन से उचित रूप से जुड़ा हुआ है?

9. दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 197 नीचे पुन: प्रस्तुत की गई है:---

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

197 न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन–

(1) जब कोई व्यक्ति जो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट या लोक सेवक है या था, जिसे सरकार की मंजूरी के बिना उसके पद से हटाया नहीं जा सकता है, पर किसी ऐसे अपराध का आरोप लगाया जाता है, जो उसके द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते समय या कार्य करने का तात्पर्य रखते हुए किया गया है, तो कोई भी न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान पूर्व मंजूरी के बिना नहीं लेगा 1[लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय(क) ऐसे व्यक्ति के मामले में, जो संघ के मामलों के संबंध में नियोजित है या, जैसा भी मामला हो, कथित अपराध के किए जाने के समय नियोजित था, केंद्र सरकार का;

(ख) ऐसे व्यक्ति के मामले में, जो राज्य के मामलों के संबंध में नियोजित है या, जैसा भी मामला हो, कथित अपराध के किए जाने के समय नियोजित था, राज्य सरकार का:

10. दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 197 का संक्षिप्त अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि दण्ड प्रकिया संहिता कि धारा 197 की सराहना के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए, अर्थात; (1) इसमें वर्णित अपराध किसी लोक सेवक द्वारा किया जाना चाहिए।; (2) संरक्षण केवल तभी उपलब्ध है जब लोक सेवक द्वारा किया गया कथित कार्य उसके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन से उचित रूप से जुड़ा हुआ हो।

11. इसलिए, उपरोक्त पढ़ने से, यह स्पष्ट है कि कथित अपराध के साथ आधिकारिक कर्तव्य के बीच संबंध होना चाहिए।दण्ड प्रकिया संहिता कि धारा 197 अपने संचालन के दायरे को केवल उन कार्यों या कार्यवाही तक सीमित करती है जो किसी लोक सेवक द्वारा आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में किए जाते हैं।

12. प्रवर्तन निदेशालय बनाम बिभु प्रसाद आचार्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 3181 में सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 17, 18 और 19 में यह निर्णय दिया है, जिसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:---

17. दं. प्र. सं. कि धारा 65 के प्रावधानों को पीएमएलए के तहत सभी कार्यवाहियों पर लागू करती है, बशर्ते कि वे पीएमएलए में निहित प्रावधानों से असंगत न हों। 'अन्य सभी कार्यवाहियाँ' शब्दों में पीएमएलए की धारा 44 (1) (बी) के तहत एक परिवाद शामिल है। हमने पीएमएलए के प्रावधानों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। हमें नहीं लगता कि इसमें ऐसा कोई प्रावधान है जो सीआरपीसी की धारा 197(1) के प्रावधानों से असंगत है। सीआरपीसी की धारा 197(1) के उद्देश्य पर विचार करते हुए, इसकी प्रयोज्यता को तब तक बाहर नहीं रखा जा सकता जब तक कि पीएमएलए में ऐसा कोई प्रावधान न हो जो धारा 197(1) से असंगत हो। हमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं बताया गया है।इसलिए, हम मानते हैं कि दं. प्र. सं. की धारा 197(1) के प्रावधान पीएमएलए की धारा 44(1)(बी) के तहत शिकायत पर लागू होते हैं।

18. धारा 71 पीएमएलए के प्रावधानों को अधिभावी प्रभाव देती है, भले ही वर्तमान में लागू किसी अन्य विधि में इसके साथ असंगत कुछ भी हो।धारा 65 एक पूर्ववर्ती धारा है जो विशेष रूप से दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को पीएमएलए पर लागू करती है, इस शर्त के अधीन कि सीआरपीसी के केवल वे प्रावधान लागू होंगे जो पीएमएलए के प्रावधानों से असंगत नहीं हैं। इसलिए, जब सीआरपीसी का एक विशेष प्रावधान पीएमएलए की धारा 65 के आधार पर पीएमएलए के तहत कार्यवाही पर लागू होता है, तो धारा 71 (1) सीआरपीसी के प्रावधान को ओवरराइड नहीं कर सकती है जो पीएमएलए पर लागू होती है। एक बार जब हम मानते हैं कि पीएमएलए की धारा 65 के तहत, धारा 197 (1) पीएमएलए के प्रावधानों पर लागू होगी, तो यह कहने के लिए धारा 71 को लागू नहीं किया जा सकता है कि दं. प्र. सं. की धारा 197 (1) का प्रावधान पीएमएलए पर लागू नहीं होगा। धारा 65 द्वारा पीएमएलए पर लागू किए गए पी.सी. को धारा 71 द्वारा ओवरराइड नहीं किया जाएगा। सीआरपीसी के वे प्रावधान जो धारा 65 के आधार पर पीएमएलए पर लागू होते हैं, धारा 71 के बावजूद पीएमएलए पर लागू होते रहेंगे। यदि दं. प्र. सं. कि धारा 71 के ऐसे प्रावधानों पर लागू माना जाता है, जो धारा 65 के आधार पर पीएमएलए पर लागू होते हैं, तो ऐसी व्याख्या धारा 65 को निरर्थक बना देगी।किसी भी कानून की ऐसी व्याख्या नहीं की जा सकती जिससे उसके किसी भी प्रावधान को निरर्थक बना दिया जाए।

19. इस मामले में, धारा 3 के तहत अपराध का संज्ञान, जो पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय है, उत्तरवादी अभियुक्तों के खिलाफ दं. प्र. सं. की धारा 197(1) के तहत पूर्व मंजूरी प्राप्त किए बिना लिया गया है। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही है।हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि आक्षेपित निर्णय का प्रभाव यह है कि विशेष न्यायालय द्वारा केवल अभियुक्त बी.पी. आचार्य और आदित्यनाथ दास के विरुद्ध संज्ञान लेने के आदेश अपास्त किये जाते हैं। अन्य अभियुक्त के विरुद्ध संज्ञान का आदेश अप्रभावित रहेगा। हालांकि, यदि भविष्य में दं. प्र. सं. की धारा 197(1) के तहत मंजूरी दी जाती है तो अपीलकर्ता के लिए दोनों उत्तरवादी के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लेने के लिए विशेष न्यायालय में जाने का विकल्प खुला रहेगा। यह स्वतंत्रता उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

को उपलब्ध विधि और तथ्यात्मक आपत्तियों के अधीन होगी।अतः, अपीलें विफल किया जाना चाहिए और जो कुछ भी देखा गया है उसके अधीन खारिज की जानी चाहिए।

13. चूंकि उत्तरवादी/ईडी ने आरोप लगाया है कि याचिकाकर्ता, जो कथित अपराधों के समय वाणिज्य और उद्योग विभाग के संयुक्त सचिव थे।कथित अपराध वाणिज्य और उद्योग विभाग के संयुक्त सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने का दावा करते हुए किया गया था। इसलिए, उक्त कृत्य करने में आधिकारिक सांठगांठ है।

14. यहां यह उल्लेख करना भी उचित है कि बहस के दौरान उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि ईडी ने सीआरपीसी की धारा 197 (1) (बीएनएसएस, 2023 की धारा 218) के तहत अभियोजन की मंजूरी केवल 14/02/2025 को प्राप्त की है, जबकि अभियोजन परिवाद दर्ज करने की तिथि पर इसे प्राप्त नहीं किया गया था, इसलिए, ईडी को आवेदक के खिलाफ नए सिरे से संज्ञान लेने के लिए संबंधित न्यायालय का सहारा लेने की स्वतंत्रता दी जाती है।अतः , ईडी अच्छी तरह से जानता है कि इस मामले में याचिकाकर्ता पर वाद चलाने के लिए अभियोजन स्वीकृति अनिवार्य है। यह स्पष्ट है कि संज्ञान लेने की तिथि पर ईडी द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी और बिना अभियोजन स्वीकृति के विद्वान विशेष न्यायाधीश पीएमएलए, रायपुर ने याचिकाकर्ता के खिलाफ 05.10.2024 को संज्ञान लिया है जो अवैध तथा विधि की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है और इसे अपास्त किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. तदनुसार, विद्वान विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए) रायपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05/10/2024 जिसके तहत याचिकाकर्ता के अभियोजन परिवाद में दिनांक 19/06/2024 को अनिवार्य रूप से संज्ञान लिया गया है, को अपास्त किया जाता है।यद्यपि, उत्तरवादी/ईडी को याचिकाकर्ता के खिलाफ नए सिरे से संज्ञान लेने के लिए संबंधित विचारण न्यायालय का सहारा लेने की स्वतंत्रता दी गई है।और, विद्वान विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह संज्ञान लेने से पहले उत्तरवादी/ईडी द्वारा प्रस्तुत मंजूरी आदेश की जांच करे।

16. परिणामस्वरूप, ऊपर बताई गई सीमा तक वर्तमान दाण्डिक पुनरीक्षण को स्वीकार किया जाता है।

सही/-
(अरविंद कुमार वर्मा)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur